(158)

समक्ष मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../ ....A-468-I-17........./ ....

विषय :— आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत् ।

पक्षकार — श्री सुनील कुमार शाह उम्र 37 वर्ष पिता श्री सुदर्शन सिंह शाह जाति (गौड़ आदिवासी)
निवासी—म.नं 803 एस.एफ. शिपनगर गढ़ा जिला जबलपुर।

दिनांक 2.2.17 को श्री ... चतुर्वेदी ... द्वारा प्रस्तुत

विरूद्ध

अनावेदक

1. श्री भानू प्रताप उम्र 46 वर्ष पिता श्री बब्बन सिंह (गैर आदिवासी)
   निवासी म.नं. 51 /ए,रेलवे क्रासिंग शिवनगर गढ़ा जिला जबलपुर म.प्र.
2. श्री रमाकांत सिंह उम्र 46 वर्ष पिता राम भल्लभ सिंह (गैर आदिवासी) निवासी – म.नं. 85 चम्मा नगर माने गांव रांझी जबलपुर म.प्र.
3. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

2.2.17

02/02/17

अपील अंतर्गत धारा 50(1) म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **77/अ–21/2016–17** में पारित **आदेश** दि. 23/01/2017 (Annexure.–1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50(1) के तहत्** यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री सुनील कुमार शाह सिंह पिता श्री सुदर्शन सिंह शाह (गौड़ आदिवासी) निवासी– 803 एस, एफ शिवनगर जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **बिछुंआ** प.ह.नं. 14 रा.नि.मं.इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 49/1 रकवा 1.280 हेक्टेयर मे से 0.640 हेक्टेयर भूमि श्री रमाकांत सिंह को खसरा नं.49/1 ...

NOTARY
MOHAMMED ASHFAQUE
JABALPUR DIST. M.P.
Regd. No. 7829
GOVT. OF INDIA

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – अपील 468–एक/17 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 77/अ–21/ 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 23–1–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी क्रं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 23–1–17 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3– प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम बिचुआ प.ह. नं. 14 बीजापुरी रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 49/1 रकबा 1.280 में से 0.640 हेक्टर गैर	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदिम जनजाति के सदस्य/अनावेदक क्रमांक 1 भानुप्रताप को तथा 0.640 हैक्टर गैर आदिम जनजाति के सदस्य/अनावेदक क्रं. 2 रमाकांत सिंह को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमि अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । परिणामस्वरूप जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 23-1-17 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम बिचुआ प.ह.नं. 14 बीजापुरी रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 49/1 रकबा 1.280 में से 0.640 हैक्टर भूमि अनावेदक क्रमांक-1 को तथा 0.640 हैक्टर भूमि अनावेदक क्रमांक-2 गैर आदिम जनजाति के सदस्यों को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक - अपील 468-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी । 3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर	